महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

दीपक कुमार ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश
राज्य परियोजना कायार्लय, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2025

विषयः **ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 का क्षमता संवर्द्धन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 902/68-5-2019 दिनांक 22.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत जनपदों में प्रति विकासखण्ड पर 06 अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से संबंधित विकासखण्ड के लिये नामित 01 डायट मेण्टर पदेन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा ए0आर0पी0 के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग हेतु प्रत्येक जनपद में 03 स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एस0आर0जी0) की व्यवस्था करते हुये उनके कार्य एवं दायित्व भी निर्धारित किये गये हैं।

2- ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 की मुख्य भूमिका शिक्षकों को ऑनसाइट शैक्षिक सपोर्ट एवं रचनात्मक फीडबैक प्रदान करते हुये छात्र-छात्राओं में अपेक्षित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति सुनिश्चित कराना है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान संदर्शिका के माध्यम से संरचित शिक्षण (Structured Pedagogy) अर्थात् दैनिक शिक्षण योजना, साप्ताहिक शिक्षण योजना एवं फॉरमेटिव असेसमेण्ट को कक्षा-शिक्षण में प्रभावी रूप से लागू किये जाने में मेण्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिये संदर्शिका, कार्यपुस्तिका, प्रिंटरिच सामग्री, बिग बुक्स, किट्स, लाइब्रेरी बुक्स, टी0एल0एम0 एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री समस्त परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके

अतिरिक्त दीक्षा पोर्टल पर 16000 से अधिक शैक्षणिक वीडियोज भी उपलब्ध कराये गये हैं। निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के लिये एक अभियान के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के साथ ही मेण्टर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

3- <u>उद्देश्य:-</u>

1. उत्कृष्ट कार्य वाले ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 का मनोबल बढ़ाना, जिससे कि वे निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित हो सकें।
2. शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
3. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से कक्षा-कक्ष रूपान्तरण तथा शिक्षकों का सतत् व्यवसायिक विकास सुनिश्चित करना।
4. नवाचारी टीचिंग लर्निंग मैटेरियल एवं उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं का बेहतर प्रयोग तथा प्रचार -प्रसार करना।
5. 'निपुण भारत मिशन' के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु मेण्टर्स में उत्तरदायित्वपूर्ण भावना का विकास करना।

4- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 के सतत् रूप से प्रोत्साहन, क्षमता संवर्द्धन एवं मार्गदर्शन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

1. <u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

   'निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति, शिक्षकों को ऑनसाइट शैक्षिक सपोर्ट एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संबंधी कार्ययोजना को कक्षा-शिक्षण में लागू किये जाने के दृष्टिगत ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 को अकादमिक बिन्दुओं पर सीमैट, प्रयागराज में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 'निपुण भारत मिशन' के अन्तर्गत उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने वाले तथा विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 को उत्कृष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तत्संबंधी सुसंगत निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

2. <u>अकादमिक कार्य हेतु टी0एल0एम0</u>

   'निपुण भारत मिशन' का मुख्य बिन्दु अकादमिक इनिशिएटिव है, जिसके अन्तर्गत कक्षा-कक्ष

का वातावरण सुधारने एव आकषेक बनाने के लिये सदाशेका, शिक्षक डायरी, प्रेटारेच सामग्री एवं टी0एल0एम0 आदि शैक्षणिक सामग्री विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी हैं। उक्त के दृष्टिगत ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 को टी0एल0एम0 का उपयोग तथा प्रभावी कक्षा-शिक्षण सुनिश्चित कराने के लिये टी0एल0एम0 इन्सेन्टिव प्रदान किया जायेगा। उक्त के संबंध में सुसंगत निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे। ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान तथा मासिक शिक्षक संकुल बैठकों में उत्कृष्ट टी0एल0एम0 तथा 'तालिका' के प्रयोग के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट एवं नवाचारी टी0एल0एम0 का संकलन करते हुये प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

3. <u>जनपद स्तरीय कार्यशाला</u>

शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट एवं नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किये जाने तथा निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के दृष्टिगत आगामी रणनीति के संबंध में विचार-विमर्श हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में प्रत्येक माह कार्यशाला आयोजित करायी जायेगी। कार्यशाला में जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। कार्यशाला में एस0आर0जी0 एवं ए0आर0पी0 द्वारा क्रमशः जनपद एवं विकासखण्ड की प्रगति का एन0बी0एम0सी0 से प्राप्त डेटा आधारित प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। तत्क्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एस0आर0जी0 एवं ए0आर0पी0 को जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा।

4. <u>राज्य स्तरीय सम्मेलन</u>

जनपदों में अभिनव प्रयोग करने वाले, निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों को हासिल करने वाले तथा एन0बी0एम0सी0 डैशबोर्ड का कुशल प्रयोग करने वाले ए0आर0पी0 एवं एस0आर0जी0 द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। तत्क्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन तथा .प्रेरणादायी भूमिका निभाने वाले मेण्टर्स को राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किया

जायेगा। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त श्रेष्ठ एव अनुकरणीय प्रयासो का राज्य स्तर से प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।

5. <u>शैक्षिक भ्रमण</u>

देश के विभिन्न राज्यों में अकादमिक इनिशिएटिव एवं अभिनव प्रयासों के संबंध में मेण्टर्स को जागरूक किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सम्यक् रूप से लागू कर सकें। 'निपुण भारत मिशन' के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के दृष्टिगत सराहनीय कार्य करने वाले ए0आर0पी0 , एस0आर0जी0 एवं डायट मेण्टर्स के लिये समय-समय पर अन्य प्रदेशों में शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा एस0आर0जी0, ए0आर0पी0 एवं डायट मेण्टर्स हेतु विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा। तद्नुसार कार्यों का मूल्यांकन करते हुये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेण्टर्स को विभिन्न राज्यों के शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जायेगा।

5- <u>वित्तीय प्राविधान</u>

1. <u>मोबिलिटी भत्ता:-</u> शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक-22 अक्टूबर 2019 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त अनुमोदन तथा वित्तीय नियमों के आलोक में प्रत्येक ए0आर0पी0 को रू0 2500/- तथा डायट मेन्टर्स को रू0 1000/- प्रतिमाह मोबिलिटी/वाहन भत्ता जनपद स्तर से दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा एस0आर0जी0 को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये रू0 2500/- प्रतिमाह मोबिलिटी/वाहन भत्ता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में यूनीक सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समयबद्ध एवं प्रभावी संचालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त मोबिलिटी भत्ते की संशोधित दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं :-

क्रम	पदनाम	वर्तमान दर (रू0 प्रतिमाह)	संशोधित दर (रू0 प्रतिमाह अधिकतम)
1	एस0आर0जी	2500/-	4500/-
2	ए0आर0पी0	2500/-	4500/-
3	डायट मेण्टर	1000/-	2000/-

निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पर्यवेक्षण/संदर्भदाता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही वित्तीय नियमानुसार मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में जिला परियोजना कार्यालय द्वारा आनुपातिक दरों पर नियमानुसार कटौती की जायेगी।

2. <u>टी0एल0एम0 ग्राण्ट:-</u>

एस0आर0जी0, ए0आर0पी0 एवं डायट मेन्टर द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान तथा शिक्षक संकुल बैठकों के दौरान स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा-शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से एस0आर0जी0, ए0आर0पी0 एवं डायट मेन्टर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु रू0 500/- (प्रतिमाह) की दर से धनराशि निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मोबिलिटी भत्ता एवं टी0एल0एम0 संबंधी धनराशि (ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश को छोड़कर) समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में गुणवत्ता शिक्षा संवर्द्धन के अन्तर्गत स्वीकृत सुसंगत मदों से निर्गत की जायेगी। तत्संबंधी सुसंगत निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR
Date: 17-07-2025
18:34:38

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(आनन्द कुमार सिंह)

उप सचिव।